राजस्थान **उच्च** न्यायालय

**जयपुर बेंच**

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2262/2018

पप्पू पुत्र श्री बजरंगा, निवासी जटवारा खुर्द, थाना मंटोन, जिला सवाईमाधोपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से
2. मंफूल पुत्र श्री दयाचंद,
3. बाबुलाल पुत्र श्री मोतीलाल,
4. श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री कैलाश चंद,
5. शंकरलाल पुत्र श्री धूलीलाल, सभी निवासी जटवारा खुर्द, थाना मंटोन, जिला सवाईमाधोपुर

----उत्तरदाता

---

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री नीरज जोशी

उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री इमरान खान, पी.पी.

---

माननीय श्री जस्टिस अनुप कुमार धंड

<u>आदेश</u>

**<u>20/05/2024</u>**

रिपोर्ट योग्य

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका धारा 397, सहपठित धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिकाकर्ता (आगे "याचिकाकर्ता"कहा जाएगा) द्वारा दायर की गई है, जिसमें दिनांक 17.11.2018 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (आगे "अपील न्यायालय"कहा जाएगा) द्वारा दी गई विवादित निर्णय को चुनौती दी गई है। आपराधिक अपील संख्या 15/2017 में अपील न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.02.2017 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा पारित विवादित निर्णय के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी गणों को आपराधिक प्रकरण संख्या 53/2012 में भा.दं.सं. की धारा 341, 323 एवं 451/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना मंटोन, सवाई माधोपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 05.02.2012 को लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न अभियुक्तगण बलपूर्वक उसके खेत में घुस आए और उसकी माता एवं पत्नी के साथ मुक्कों और थप्पड़ों से मारपीट की तथा उसकी दादी का अंगूठा कुछ खाली कागजों पर जबरन लगवाकर उन दस्तावेजों का सिविल न्यायालय में लंबित कार्यवाही में दुरुपयोग करने का प्रयास किया।

3. उपरोक्त रिपोर्ट पर, अपराध संख्या 82/2017 पुलिस थाना मंटोन, सवाई माधोपुर में दर्ज की गई, जिसमें अपराध धारा 143, 323, 341 एवं 452 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय थे। जांच के पश्चात, अभियुक्तगण के विरुद्ध उपर्युक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, आरोपियों के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए आरोप तय किए गए। अभियुक्तों ने सभी आरोपों का खंडन किया और विचारण की मांग की। विचारण के दौरान, अभियोजन द्वारा कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और छह दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए। उसके बाद धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

तहत अभियुक्तगण से स्पष्टीकरण लिया गया, जिसमें उन्होंने घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया, किंतु बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन एवं पक्षकारों की दलीलें सुनने के पश्चात, विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 02.02.2017 के निर्णय द्वारा अभियुक्तगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

4. निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 02.02.2017 के विवादित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, सवाई माधोपुर की अदालत में एक आपराधिक अपील प्रस्तुत की, हालाँकि उसे भी दिनांक 17.11.2018 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा पारित दिनांक 02.02.2017 के निर्णय को बरकरार रखा गया।

5. ट्रायल कोर्ट और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोनों बरी किए गए निर्णयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने धारा 397 सहपठित धारा 401 सीआरपीसी के तहत यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंडित करने हेतु विद्यमान थे, किंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों की अनुचित सराहना के कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ त्रुटिपूर्वक दे दिया गया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण सिद्ध हुआ था, यही कारण है कि उनके विरुद्ध

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और संज्ञान लिया गया एवं आरोप तय किए गए; अतः इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है।

7. लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया।

8. बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना और विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं किया, और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों के संबंध में, उनके बयानों में काफी विरोधाभास पाए गए। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप विचारण न्यायालय के समक्ष संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं। यद्यपि घायल व्यक्तियों को साधारण चोटें आई थीं, लेकिन चिकित्सकीय प्रमाणों के अनुसार ये चोटें सतही प्रकृति की थीं, जो चोटिल व्यक्ति के गिरने या जमीन पर गिरने से भी आ सकती थीं। उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध के संबंध में कोई स्पष्ट और ठोस साक्ष्य संदेह से परे प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

10. यह विधि का सुप्रस्थापित सिद्धांत है कि पुनरीक्षण न्यायालय सामान्यतः साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों का स्थानापन्न नहीं करेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्यों

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

पर आधारित न हों या किसी विकृति अथवा गैरकानूनीता से ग्रसित न हों। यह भी सुप्रस्थापित है कि यदि साक्ष्यों के आधार पर दो संभावित दृष्टिकोण संभव हैं, तो अभियुक्त के हित में प्रतिकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।

11. प्रारंभ में यह उल्लेखित करना उचित होगा कि यह दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका है और इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा और विस्तार सीमित है। वेंकटेशन बनाम रानी एवं अन्य **(**आपील संख्या **462** वर्ष **2008)** निर्णय दिनांक 19.8.2013 में, मा. सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया है कि उच्च न्यायालय के पास धारा 397 सहपठित धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की वास्तविक सीमाएँ क्या हैं, जब विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश की समीक्षा की जाती है और निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया है—

> "6. वर्तमान मामले में उठे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जैसा कि शुरू में ही उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा और दायरे पर, विशेष रूप से दोषमुक्ति के निर्णय के संबंध में इसके प्रयोग के संदर्भ में, संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। इस संबंध में कानून इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा सुस्थापित है। उदाहरण के लिए, और कालानुक्रमिक रूप से, पकालपति नारायण गजपति राजू बनाम बोनापल्ली पेडा अप्पाडु, अकालू अहीर बनाम रामदेव राम, महेंद्र प्रताप सिंह बनाम सरजू सिंह, के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और लोगेंद्रनाथ झा बनाम पोलाई लाल विश्वास में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है। विशेष रूप से और इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालने के उद्देश्य से अकालू अहीर बनाम रामदेव राम (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 8 और 10 की विषय-वस्तु को नीचे उपयोगी रूप से उद्धृत किया जा सकता है।—

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

"8. तथापि, इस न्यायालय ने उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों का संकेत दिया है, जिनमें दोषमुक्ति की पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित ठहराया जा सकता है:

(i) जब विचारण न्यायालय को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था, फिर भी उसने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया;

(ii) जब विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य को गलत रूप से बाहर कर दिया;

(iii) जब अपीलीय न्यायालय ने गलत तरीके से उस साक्ष्य को अयोग्य मान लिया, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया था;

(iv) जहाँ भौतिक साक्ष्य को केवल (या तो) ट्रायल कोर्ट या अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया हो; और;

(v) जब दोषमुक्ति उस अपराध के समझौते के आधार पर है, जो कानून के तहत अमान्य है।

ये श्रेणियाँ केवल उदाहरणस्वरूप हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि इसी प्रकार की अन्य प्रकृति के मामले भी असाधारण श्रेणी के माने जा सकते हैं, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है।

"10. निस्संदेह, इस मामले में ट्रायल जज द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन पूर्ण या दोषरहित नहीं है और अपील न्यायालय ने इसके निष्कर्ष से असहमत होना उचित समझा होगा, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि एक निजी शिकायतकर्ता द्वारा पुनरीक्षण पर, उच्च न्यायालय स्वयं साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है जैसे कि वह अपील न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा हो और फिर पुनः सुनवाई का आदेश दे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्राम मुखिया के पद के चुनाव के मामले में प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या से प्रेरित एक गंभीर अपराध दंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

यह इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून की अनदेखी करने या उसका सख्ती से पालन न करने का कोई वैध आधार नहीं हो सकता।" विमल सिंह बनाम खुमान सिंह मामले में पैरा 9 में की गई टिप्पणियाँ भी पुनरावृत्ति के लिए उपयुक्त होंगी और इसलिए, नीचे उद्धृत की जा रही हैं।

"9. संहिता की धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे की बात करें, तो उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार में सामान्यतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि वहां विधि या प्रक्रिया में कोई स्पष्ट त्रुटि न हो। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप केवल उन्हीं असाधारण मामलों तक सीमित है, जब यह पाया जाए कि पुनरीक्षण के अधीन आदेश में स्पष्ट गैरकानूनीता है या न्याय का गंभीर अपव्यय हुआ है, या यह पाया जाए कि विचारण न्यायालय को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था, या विचारण न्यायालय ने अवैध रूप से उस साक्ष्य को बाहर कर दिया, जिसे अन्यथा विचार किया जाना चाहिए था, या जिस सामग्रीगत साक्ष्य से विवाद का समाधान होता, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया। ये वे उदाहरण हैं, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप न्यायोचित होगा। धारा 401(3) यह अनिवार्य करती है कि उच्च न्यायालय— दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में बदलने के लिए न्यायसंगत नहीं होगा, भले ही उसे यह विश्वास हो कि अभियुक्त दोषसिद्धि का पात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त कर सकता है यदि वह ऊपर उल्लेखित असाधारण मामलों के दायरे में आता है, किंतु वह दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसे असाधारण मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष मात्र पुनः विचारण का आदेश देने का विकल्प ही शेष रहता है।

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

7. उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालयों का पुनरीक्षणाधिकार तब विशेष रूप से संकीर्ण है जब वे दोषमुक्ति के आदेश की परीक्षा करते हैं, और इसका प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए, जहाँ विचारण न्यायालय ने विधि या प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि की हो या प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य को नज़रअंदाज़ या उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया हो, जिससे न्याय का अपवंचन हुआ हो। साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश की समीक्षा करते समय पुनरीक्षणाधिकार के प्रयोग में सावधानीपूर्वक करना चाहिए। स्पष्ट है कि यदि इन सीमित सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित ठहराया जाता है, तो सिर्फ एक ही कार्यवाही अपनाई जा सकती है कि दोषमुक्ति को निरस्त कर पुनः विचारण का आदेश दिया जाए। संहिता की धारा 401 की भाषा स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

12. इसी प्रकार, **विमल सिंह बनाम. खुमान सिंहंद जूनियर, एआईआर 1998 एससी 3380** के मामले में भी छानबीन की गई थी किउच्च न्यायालय की धारा 401 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

"बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप के मामले में पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में कानूनी स्थिति अब एकीकृत नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। इस संबंध में के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (एआईआर) 1962 एससी 1788) में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है, जिसमें यह माना गया था:

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

"यह सत्य है कि उच्च न्यायालय के लिए पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करना सम्भव है, भले ही निजी पक्षकारों के अनुरोध पर, यद्यपि राज्य ने अपील करना उपयुक्त नहीं समझा हो, परंतु इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय को केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जब प्रक्रिया में या क़ानून के किसी बिंदु पर स्पष्ट त्रुटि हो और परिणामस्वरूप न्याय का घोर दुरुपयोग हुआ हो। धारा 439 की उप-धारा (4) उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने से मना करती है, और इससे यह उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि वह दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से पुनः परीक्षण का आदेश देकर परिवर्तित न करे, जब वह स्वयं सीधे तौर पर दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता। यह उच्च न्यायालय की शक्ति पर सीमा बनाता है कि वह पुनरीक्षण में दोषमुक्ति के निष्कर्ष को रद्द करे और यह केवल असाधारण मामलों में ही इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए... जहां अपील न्यायालय ने स्वीकार्य साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर कर दिया हो, वहां उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं होगा।" दोषमुक्ति के आदेश का पुनरीक्षण में, ताकि साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया जा सके — उन साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें गलती से अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय को स्वयं को केवल साक्ष्य की प्रासंगिकता तक ही सीमित रखना चाहिए और उसे आगे बढ़कर साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।

"7. अब संहिता की धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के क्षेत्र की बात करें, तो उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति में सामान्यतः मुकदमा न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि कानून या प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि न हो। मुकदमा न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप केवल उन्हीं असाधारण मामलों तक सीमित है जब यह पाया जाए कि पुनरीक्षणाधीन आदेश में स्पष्ट अवैधता हो या न्याय का गंभीर उल्लंघन हुआ हो या यह पाया जाए कि मुकदमा न्यायालय के पास मामला सुनने का अधिकार नहीं था या मुकदमा न्यायालय

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

ने अवैध रूप से उन साक्ष्यों को बाहर कर दिया हो जिन्हें विचार में लिया जाना चाहिए था, या उस मुख्य साक्ष्य को नज़रअंदाज़ कर दिया गया हो, जिससे मामला तय होता है। ये वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए औचित्यपूर्ण रहेगा। धारा 401 की उप-धारा (3) यह निर्देश देती है कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए, उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में बदलने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं होगा, भले ही उसे यह विश्वास हो कि आरोपी दोषसिद्धि का पात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति के अभ्यास में दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त कर सकता है, यदि वह ऊपर उल्लिखित असाधारण मामलों के दायरे में आता है, लेकिन दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसे असाधारण मामलों में उच्च न्यायालय के सामने केवल एक विकल्प बचता है कि वह पुनः परीक्षण का आदेश दे। वास्तव में, संहिता की धारा 401 की उप-धारा (3) उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश में परिवर्तित करने से मना करती है। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति पर इस सीमा के दृष्टिगत, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 304, भाग-1 के तहत दोषसिद्ध करने और दोषमुक्ति का आदेश निरस्त करने के बाद सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा देने में स्पष्ट रूप से अवैधता की है।

13. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता, जैसा कि धारा 401 सी.आर.पी.सी. के तहत कल्पित है, सीमित दायरे में कार्य करती है और केवल असाधारण मामलों में ही प्रयोग की जा सकती है, जहाँ सार्वजनिक न्याय के हित में न्याय के घोर दुरुपयोग की सुधार हेतु हस्तक्षेप आवश्यक हो। इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि निचली अदालत ने कानून या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की गलत सराहना की है। उच्च

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग तब होना चाहिए जब कानून में स्पष्ट त्रुटि या प्रक्रिया में गंभीर दोष हो।

14. वर्तमान मामले में, सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार में त्रुटि नहीं है, जिससे आरोपित उत्तरदाताओं को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया हो, अतः इस न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

15. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूल सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है, परंतु वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा करने में असफल रहा है।

16. इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय तथा अपील न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करके जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह उचित है। यह न्यायालय दोनों निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं पाता है, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

17. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान याचिका निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

18. यदि कोई लंबित आवेदन हों, तो वे निस्तारित माने जाएं।

19. विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**

(अनूप कुमार ढांड),जे

कू डी/59

**"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"**

**Tarun Mehra**

**Advocate**

**(30/05/2025 को दोपहर 12:28:19 बजे डाउनलोड किया गया)**